29/12/21 आज पत्रावली उपतहसीलदार समेजाकोरी के पत्रांक 623 दिनांक 28.12.2021 के प्राप्त होने पर सेमरी में ली गई। उपतहसीलदार समेजा द्वारा पटवारी हल्का रिपोर्ट मूल प्रेषित की गई है। तुलनात्मक रिपोर्ट पटवारी खाता नं. 1 में मु.नं. 48, 49, 50 की 9.490 है० बारानी भूमि चक 34 PS में न होकर 36 PS में दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चक 36 PS खाता नं. 1 की 9.490 है० बारानी भूमि की समाप्ति में प्रार्थी के पिता के नाम जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर शेर सिंह की दुरुस्ती हेतु आवेदन किया गया है। न्यायालय द्वारा मु.गां से. अभिभाषक अधि. सिविल वाद सं. 84 PB/21 में दिनांक 11.11.2021 की निर्णय पारित कर प्रा. पत्र स्वीकार करते हुए किया गया।

निर्णय दिनांक 11.11.2021 का अवलोकन करने पर पाया कि सहायक ने लिखित मौखिक समझौता (सेटिंग (सेटल)) के आधार में 36 PS के स्थान पर 34 PS दर्ज हो गया है। जिसकी दुरुस्ती की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः न्यायालय धारा 151-152 CPC द्वारा प्रदत्त प्रावधानान्तर्गत न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 की पंक्ति से. 23 (पैरा-3) में लिखना अवश्यक पत्र ——— अमल दरामद किया" में अंकित 34 PS के स्थान पर 36 PS की दुरुस्ती के आदेश देता हूँ अतः 34 PS के स्थान पर 36 PS पढ़ा एवं लिखा जाकर प्रार्थी निर्णय दिनांक 11.11.21 में लाल स्याही से प्रविष्टी को सही किया जाकर आदेश एवं निर्णय की प्रति उपतहसीलदार समेजा कोरी को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फाईल में शामिल होकर हाजिरी दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:36:23 IST
Reason: SelfAttested